

JieacT one of the most sophisticated artillery items over produced by the US; and

tin if so. what steps are proposed to be taken by Government tot equip the Indian forces to meet the threal posed by the Copperhead" missiles?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. R. NARAYANAN), fa) Yes, Sir.

(b) All developments affecting India's security are kept under constant, watch and appropriate measures (aken Io ensure full defence preparedness.

Unclaimed P.F. amount

1337. SHRIMATI KRISHNA KAUL: Will the Minister of I ABOUR be pleased to state:

(a) what is the amount of Provident Funds dues which is lying unclaimed by Provideiu Fndd Organisations in the country;

(b) what are the reasons for which these amounts arc lying unclaimed; and

(c) what steps are being taken to pay these amounts to the subscribers?

TBE MINISTER OF STATE OF THH MINISTRY OF IABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (u) \ sum of about rupees fourteen crores is lying unclaimed with th* Provident Fund Organisation:

(b) The amount has remained unpaid mainly on account of non-receipt of th« claims from either the subscriber or bis] ber nominee/legal heir:

(c) The EPF authorities have been in struttred to make all o"r efforts to locate the subscribers who have not preferred their claim. For this purpose, they have been asked to give suitable publicity by displaying the particulars of unclaimed deposits cm the notice boards of the factories establishments and also to enlist the cooperation of employers/trade unions in finding out the whereabouts of the subscribers.

Application for IOO per cent export-oriented units

SURI M. VINCENT: Will ihe Minister of COMMERCE be pti state:

ia) what is the number of applications for issue of letter of intent /approval cf IOO per cent export-oriented, units pend ing with Government;

(b) whether there are different ncrim for according approval in the export zone area and outside the area; and

(c) whether there is any lime limit for issue of approval from ihe date ed receipt of such application?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BRAHM DUTT): (a) 79 applications for units to be set up under the 108 per cent EOU Scheme were pending as OH 31st luly, 1986.

(b) Separate schemes govern the estab lishment of a project within the Expor! Processing Zone and the set time; np of » project as a IOO per cent Export Oriented Unit outside the Zone. The norms fo/ conskleration in both cases, however, tak*, into account, among other things, the mature of th_e activity, its techno-economic feasibility in. the specific circumstances an_a ^{net} foreign exchange realisations etc.

(c) Applications under the IOO per cent EOU Scheme, which are complete in all respects are expected to be cleared within a period of 30 days aft_{er} registration in the case of NoniMRTP cases, and within 60 days after registration, in the case of MRTP cases. In the case of units within Export Processing Zones applications aie expected to be cleared within 45 days.

उत्तर प्रदेश में आयकर के क्राय

1339. डा. ररत्नाकर वाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष उत्तर प्रदेश में काले-धन का पता लगाने के लिए आयकर विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए छापाओं की संख्या कितनी है ;

(द) इन छापाई के दौरान कितने काले-धन का पता लगाया गया ;

(ग) इस सिनसिले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए ;

(घ) उनमें से कितनों के विरुद्ध मुकदमें दायर किए गए ; और

(ङ) क्या इन व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति एकाधिकार धरानों से सम्बन्धित रहता है ?

बिस्व मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनार्दन गुजारी) : (क) से (ग) वित्तीय वर्ष 1985-86 में जायकर विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में ली गई तलाशियों की संख्या 634 थी, जिनके परिणामस्वरूप लगभग 5.18 करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियां पकड़ी गयी थी। जायकर अधिनियम के अन्तर्गत तलाशियां सम्बन्धी कार्रवाई के दौरान किसी व्यक्ति का गिरफ्तार करने का प्रावधान नहीं है।

(घ) और (ङ) वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान उत्तर प्रदेश में जायकर विभाग द्वारा बनाए गए अभियानों की संख्या 501 थी। इनमें एकाधिकार धरानों से सम्बन्धित या मामले शामिल हैं, अर्थात्:--

1. मंसर्स जे. के. सिन्धीटक्स।

2. मंसर्स मोदी इण्डस्ट्रिय लिमिटेड।

दिल्ली के समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों द्वारा पालेकर पंचाट का कार्यान्वयन

1340. डा. रत्नकिर पाण्डेय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के किल-किल समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में अपने कर्मचारियों को पालेकर पंचाट के अनुसार भुगतान नहीं किया है और इनमें से प्रत्येक प्रतिष्ठान की ओर कर्मचारियों की कितनी-कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) राशि की बसुली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. सेगमा) : (क) श्रमायुक्त, दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार, निम्नलिखित समाचारपत्र प्रतिष्ठानों ने पूर्णतया पालेकर पंचाट के अनुसार मजदूरी का भुगतान नहीं किया :--

(1) मंसर्स बंनट क्लेमन लि०, नई दिल्ली। प्रबंधतंत्र ने वगीकरण के संबंध में उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और वे दिनांक 20-5-81 तथा 4-12-81 के आदेशों के अनुसार बड़ी हुई राशि का 50 प्रतिशत भुगतान कर रहे हैं।

2. मंसर्स अलजामियत (अब बंद पड़ा है)।

3. मंसर्स समाचार भारती (अब बंद पड़ा है)।

4. मंसर्स डेली दावत : कातिबों को उनके पारस्परिक करार के अनुसार वर्ग-3 की बजाय वर्ग 4 का भुगतान किया जा रहा है।

5. मंसर्स सवेरा : अंशकालिक श्रमजीवी पत्रकारों को उनकी पुरानी परिलिखियों को बनाए रखने के बारे में, उनके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार भुगतान किया जा रहा है।

6. मंसर्स शमा ग्रुप : प्रबंधतंत्र दिनांक 28-8-80 और 31-3-81 के पारस्परिक करारों के अनुसार मजदूरी का भुगतान कर रहा है। पंचाट के फायदे केवल पत्रिका कर्मचारियों को दिये गये हैं।

(ख) जब कभी श्रमायुक्त का पालेकर पंचाट बसे लागू न करने के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं, तब यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है कि प्रबंधतंत्र उक्त पंचाट को लागू करे। इस समय, पालेकर पंचाट को लागू न करने के बारे में दो मामले श्रम न्यायालय में लंबित बड़े हैं।